मु.नं.–41 / 2020 GCMS ID-2020/00083 ता.रजु–04.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

संगीता मीना पत्नि डॉ. दर्शनलाल मीना, ग्राम व पोस्ट मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–09.02.2021

1. स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत आम चुनाव व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 16.09.2020, 25.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डरायल का पत्रांक–पंसम / संस्था / 2019–20 / 1069–71 दिनांक 09.09.2019 के बिन्दु संख्या 4 से संबंधित शिकायती पत्र की दिनांक 28.07.2017 को रजिस्टर में इन्द्राज करने के रजिस्टर की प्रति व उस पर जिला प्रमुख महोदय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की प्रति, शिकायती पत्र की प्राप्ति का माध्यम, तत्कालीन जिला प्रमुख को विभिन्न स्तर से प्राप्त धमकियों के काल रिकॉर्डिंग, काल डिटेल्स की प्रति, आवेदन प्राप्ति से सूचना दिये जाने तक की कार्यवाही की प्रति आदि की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदिका को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–46 दिनांक 22.01.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक 963 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा आवेदिका का सूचना चिन्हीकरण एवं 20 पृष्ठीय सूचना हेतु सूचना शुल्क 40 / – रुपये जमा कर सूचना प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु आवेदिका द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदिका को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अंत में अपील, अपीलार्थी को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने कार्यालय के विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में 20 पृष्ठीय सूचना के लिए 40 / – रुपये जमा करवाये जाने हेतु अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा उक्त शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उक्त विनिश्चय पर कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है और अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा ना तो इस न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया है और ना ही उपस्थित आयी है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली